ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/2156/2005/अलवर भूरा बनाम दीनू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री इन्द्र सिंह राव, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी ।

अप्रार्थी सं0 1 से 4 का नाम तर्क आदेश दिनांक 08–05–18 द्वारा ।

––

निर्णय

दिनांकः.11–6–2018

यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील सं0 79/2002 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 11–04–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, रामगढ़ के समक्ष पटवारी हलका ने एक रिपोर्ट पेश की कि संवत् 2058 में ग्राम पगडदेव के खसरा नं0 396 रकबा 12 बिस्वा गैर मु0 रास्ता में से 2 बिस्वा में जोत व 20X20 में नींव खोद कर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी ने अतिक्रमण कर लिया है। उक्त प्रार्थना पत्र को विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए। विपक्षीगण ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17–09–2001 द्वारा अतिक्रमण सिद्ध होना मानते हुए बेदखली व शास्ति का आदेश पारित किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर जिला कलक्टर, अलवर के न्यायालय प्रथम अपील पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 05–06–2002 द्वारा

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/2156/2005/अलवर भूरा बनाम दीनू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होनें अपने निर्णय दिनांक 11–04–2005 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह निगरानी मण्डल में पेश की गई है। हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी खसरा नं0 395 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा का अभिलिखित खातेदार था और इसी भूमि में से 506 वर्ग गज भूमि का रूपान्तरण वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करवा कर यू आई टी से नक्शा स्वीकृत करवाया गया उसने केवल ख0नं0 395 की रूपान्तरित भूमि पर ही दुकानों का निर्माण करवाया है किन्तु उसे अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखल करने का अवैधानिक आदेश पारित किया गया है। उनका तर्क है कि अधिनियम की धारा 91 राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में लागू होती है किसी खातेदार की भूमि से इस प्रावधान के अन्तर्गत उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। उनका यह भी तर्क है कि मौका रिपोर्ट 11–06–2002 सही नहीं है, क्योंकि उसमें समस्त लगते हुए खसरों का नाप नहीं किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर बनी दुकानों को अतिक्रमण कर बनाया गया माना गया है। उनका तर्क है कि वास्तव में दूसरे व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के आधार पर प्रार्थी के स्वंय की भूमि पर किए गए निर्माण को गलत मानने में अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिक त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जावें।	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/2156/2005/अलवर भूरा बनाम दीनू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उसके द्वारा राजकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए गए है। प्रार्थी का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उसके द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि पर निर्माण किया गया है और गलत रिपोर्ट के आधार पर इस निर्माण को राजकीय भूमि पर माना गया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के अभिलेख पर आधारित निष्कर्ष लिया है कि प्रार्थी द्वारा किया गया निर्माण राजकीय भूमि पर है। हमारी सुविचारित राय में हमारे समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे रिपोर्ट अथवा अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्षो को गलत कहा जा सके। राजकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो निर्णय पारित किए गए है, उनमें क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि नहीं है। निगरानी का क्षैत्र सीमित है और इसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जबकि वे क्षैत्राधिकार की त्रुटि से ग्रसित हो। वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–04–2005

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/2156/2005/अलवर भूरा बनाम दीनू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यथावत रखा जाता है। निर्णय की सूचना योग्य अधिवक्ता प्रार्थी को दी जावे व निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (इन्द्र सिंह राव) सदस्य	